न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 349/2017

प्रार्थीनी :– बसन्तीदेवी पत्नी श्री रामदेव, जाति नायक, निवासी फलौदी मेड़तारोड़, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. बाबूराम पुत्र श्री छोगाराम, जाति नायक, निवासी फलौदी, मेड़तारोड़ तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. तहसीलदार मेड़ता।
3. पटवारी हल्का, मेड़तारोड़(फलौदी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक :– 20.08.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी ने उपरोक्त अनुवान सदर का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो बहुत ही मजबुत बिनाय पर आधारित है। जिसमें प्रार्थीनी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी आशा है। ग्राम मेड़तारोड़(फलौदी) की सरहद में खसरा नम्बर 1351/179 रकबा 0.0324 हैक्टेयर बारानी 2 प्रार्थीनी की खरीदसुदा कब्जासुद आयी हुई है। जिसकी खतौनी की नकल साथ में पेश है। प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 आपस में रिश्तेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थीनी का जेठ है। जो प्रार्थीनी से रंजिश रखता है। अप्रार्थी संख्या 01 आये दिन प्रार्थीनी के साथ लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू रहता है और प्रार्थीनी को उसकी खरीदसुदा सम्पति से बेदखल करने पर आमाद्दा हो गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के उपरोक्त गलत, गैरकानूनी व

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

नाजायज एक्ट से प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति हो रही है और प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी बार समझाने का प्रयास भी किया है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी से रंजिश रखता है और प्रार्थीनी को उसकी सम्पति हड़प करके उसे बेदखल करने पर तुला हुआ है। इसी बदनियति से दिनांक 30.09.2017 को अप्राथी संख्या 1, प्रार्थीनी के खरीदसुदा खेत पर आया और पूर्वी तरफ दीवार निकालने की कोशिश की, प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी के साथ लड़ाई–झगड़ा करने लगा और अप्रार्थी संख्या 1 की कोई जमीन प्रार्थीनी के खेत के पास नही आ रखी है, फिर भी अप्राथी संख्या 1, प्रार्थीनी को केवल हैरान व परेशान करने की बदनियति से व प्रार्थीनी के खेत को हड़प करने की नियत से आये दिन प्रार्थीनी के खेत पर आकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है। प्रार्थीनी का प्रथम दृष्टया मामला बहुत ही मजबूत है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है तथा सहूलियत पूरी प्रार्थीनी के पक्ष में है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के उपरोक्त गलत गैरकानूनी एक्ट से प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है, जो न तो आंकी जा सकती है और न ही पूरी की जा सकती है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस स्थाई निषेधाज्ञा इस अमल की जारी फरमायी जावें कि ग्राम मेड़तारोड़(फलौदी) की सरहद में खसरा नम्बर 1351/179 रकबा 0.0324 हैक्टेयर बारानी 2 प्रार्थीनी का खरीदसुदा खेत है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें कि वह उक्त खसरा में किसी प्रकार से दखल व दस्तअंदाजी नही करे और प्रार्थीनी के उक्त खसरा में किसी भी दीवार का निर्माण न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करवावें। इस प्रार्थना पत्र व वाद का खर्चा व हर्जा प्रार्थीनी को अप्रार्थी सं 1 से दिलाया जावें अन्य सहायत जो प्रार्थीनी को दिलाना उचित हो दिलायी जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थीनी ने अपने पक्ष समर्थन में नकल जमाबंदी मौजा ग्राम फलौदी(मेड़तारोड़) सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 364, 240, 725 नक्शा ट्रेस फोटो प्रतियां पेश की।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से दिनांक 09.11.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

4. अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह है कि प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 1 का जवाब है कि प्रार्थीनी ने अनुवान सदर का वाद जरूर पेश किया है मगर वह बहुत ही कमजोर बिनाय पर आधारित है। जिसमें प्रार्थीनी को कामयाबी मिलने की कोई आशा नही है। यह है कि प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 2 का जवाब है कि मौजा ग्राम मेड़तारोड़ की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1351/179 रकबा 0.0324 हैक्टेयर की जमीन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी के नाम दर्ज है। मगर नक्शे में तरमीम न होने से प्रार्थीनी इसका गलत अर्थ लगा रही है। इस वजह से उक्त खसरा के संबंध में बंटवाड़े का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जो वाद गीतादेवी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसकी प्रार्थीनी को जानकारी है। मगर प्रार्थीनी ने गलत रूप से संयुक्त खातेदारी की भूमि व नक्शे में तरमीम न होते हुए भी गलत रूप से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। इस वजह से प्रार्थना पत्र का यह फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। यह है कि प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 3 का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी का जेठ जरूर है। मगर प्रार्थीनी से कोई रंजिश नही है। इस वजह से प्रार्थना पत्र का यह फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। यह है कि प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 4 का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने कभी भी प्रार्थीनी के साथ कोई लड़ाई–झगड़ा नही किया है और अप्रार्थी संख्या 1 तो अपनी खातेदारी की भूमि पर काश्त व काबिज है। जिसके चारों और पक्की चारदीवारी निकाली हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार के लोगों की आयी खातेदारी भूमि में प्रार्थीनी का कोई हक व अधिकार, काश्त, कब्जा, उपयोग व उपभोग न तो पूर्व में कभी था और न वर्तमान में है। इस वजह से प्रार्थीनी ने जानबुझकर इस प्रार्थना पत्र में न तो परिशिष्ट बनाकर पेश किया है और न ही उक्त खसरा की भूमि का पटवारी हल्का से नक्शा ट्रेस लेकर पेश नही किया है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रार्थीनी की भूमि नक्शे में तरमीम सुदा नही है और प्रार्थीनी ने जितना मौके पर कब्जा था वह सम्पूर्ण भूमि दीपक सोलंकी पुत्र रसीक भाई गुजराती जाति मोची निवासी नेहरू गेट के बाहर, ओम नगर गली, नम्बर 9 मकान नम्बर 11, ब्यावर वाले को बैचान कर दी है और बैचान अनुसार दीपक सोलंकी मौके पर काबिज है। प्रार्थीनी का कोई मौके पर कोई कब्जा, उपयोग व उपभोग नही है। केवल मात्र रेकर्ड में इन्द्राज रहने से प्रार्थीनी झुठा हक लगा रही है। प्रार्थीनी जब तक सक्षम न्यायालय में बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत करके अपनी भूमि चिन्हित नही करवा लेती तब तक न तो अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल चलने के है और न ही प्रार्थीनी इस प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकती है। प्रार्थीनी ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा के साथ–साथ तहसीलदार मेड़ता व पटवारी हल्का मेड़तारोड़ के विरूद्ध भी पेश किया है। मगर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में न तो कोई आवश्यक पक्षकार होता है और न ही बिना कॉज ऑफ एक्शन के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार इस फिकरा में प्रार्थीनी का यह कथन की अप्रार्थी उसे बेदखल करने पर आमादा है। जब प्रार्थीनी का मौके पर कोई कब्जा है ही नही तो अप्रार्थी उसे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का यह फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। यह है कि प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 5 का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या 1 कोई गलत, गैरकानूनी व नाजायज एक्ट न तो कर रहा है और न ही प्रार्थीनी को

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (कज.)

Scanned by CamScanner

कोई अपूर्णीय क्षति हो रही है। न तो प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 1 को कभी समझाया और न समझाने का प्रयास किया और न ही समझाने की कभी आवश्यकता हुई। दिनांक 30.09.2017 की घटना प्रार्थीनी ने मनगंढत व कपोल कल्पित तैयार की है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का यह फिकरा पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। यह है कि प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 6 का जवाब है कि प्रार्थीनी का प्रथम दृष्टया कोई मामला नही है, न ही प्रार्थीनी मौके पर काबिज है, न ही प्रार्थीनी की जमीन रेकर्ड में तरमीम सुदा है। इस वजह से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में नही है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा के विरूद्ध जारी की जाती है तो अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीनी को किसी प्रकार की कोई क्षति नही हो रही है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा के खारिज फरमाया जावें।

5. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई, वकील प्रार्थीनी ने अपनी बहस में कहा कि मुतनाजा आराजी की प्रार्थीनी रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थीनी का काश्त व कब्जा है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी को बेदखल कर देते है तो अपूर्णीय क्षति भी होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

6. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि मात्र रेकर्ड में नाम होने से प्रार्थीनी कब्जा नही होता है। प्रार्थीनी का मौके पर कोई कब्जा नही है। जिससे न तो प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में है तथा ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में है तथा प्रार्थीनी का कब्जा ही नही है तो अपूर्णीय क्षति होने की कोई संभावना नही होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया मुतनाजा वादग्रस्त आराजी की प्रार्थीनी रेकर्डेड खातेदार है। जिसकी पुष्टि जमाबंदी ग्राम फलौदी(मेड़तारोड़) सम्वत्

Scanned by CamScanner

2071 से 2074, खाता संख्या 364 से प्रमाणित होती है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में जाता है तथा यदि खातेदार को कोई बेदखल करता है तो खातेदार को अपूर्णीय क्षति होती है। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

8. प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीनी विरूद्ध अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद इस आशय कि जारी की जाती है कि प्रार्थीनी की खरीदसुदा खातेदारी की भूमि स्थित मौजा ग्राम फलौदी(मेड़तारोड़) के खसरा नम्बर 1351/179 रकबा 0.0324 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 किसी प्रकार से दखल व दस्तअंदाजी नही करे।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

Scanned by CamScanner